न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2020/00056

1. पेमादेवी पत्नी राजाराम जाति जाट साकिन मोटोलाई हाल चक 19 पीबी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट एवं 136 एलआर एक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

तहसीलदार रिपोर्ट पर गौर किया गया इसके मुताबिक चक 19 पीबी के मु0नं0 169/58 के कि.नं. 21 ता 25 से 2 बिस्वा भूमि गैर.मु. रास्ता के तौर पर दर्ज है। मौके पर 21 नं0 किला में रास्ता खुला है जबकि कि.नं. 22 ता 25 में रास्ता बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक मु.नं. 169/59 को मु. नं. 189/3 के किला नं. 1,10,11,20,21 में चल रहे कटानशुदा रास्ता के जरिए पहुंच प्राप्त है। इसलिए विवादित रास्ते की ज्यादा उपयोगिता नहीं है। अदालत तहसीलदार रिपोर्ट से इतेफाक नहीं रखती क्योंकि मु.नं. 169/50 और 169/58 में दर्ज रास्ता मु.नं. 189/2 व 189/3 में कायम रास्ते को डामर सड़ता से जोड़ता है। इसलिए यह कहना जायज नहीं है कि इस रास्ते का कोई कायदा नहीं है। दूसरी वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि उक्त रास्ता अधिकारी के आदेशों के बिना जमाबंदी में दर्ज किया गया है। इसलिए अदालत का फैसला है कि यह वाद खारिज किया जाना जायज है। लिहाजा वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 15:17:42 IST
Reason: SelfAttested